# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
# Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 4809 / 2023 दिनांकः 10 मई, 2023

**महत्वपूर्ण**

## कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्याः 401 / सत्तर–3–2022, दिनांकः 09 फरवरी, 2022(संलग्न) के अनुक्रम में **स्नातकोत्तर स्तर पर प्रभावी राष्ट्रीय शिक्षा नीति(N.E.P.)–2020 से सम्बन्धित विश्वविद्यालय की नियमावली एवं निर्देश एतद्द्वारा पार्श्व में संलग्न हैं।**

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य / प्राचार्या से अनुरोध है कि उक्त नियमावली से अपने महाविद्यालयी छात्र / छात्राओं को संसूचित करते हुए तद्नुक्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

**संलग्नक–यथोक्त।**

भवदीय

(एस0एल0पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. माननीय कुलपति जी।
02. निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित छात्र / छात्राओं को संसूचित करने का कष्ट करें।
03. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
04. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
05. सम्बन्धित पत्रावली

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया, उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

# बैठक का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्याः 401/सत्तर–3– 2022, दिनांकः 09 फरवरी, 2022 के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति(N.E.P.)–2020 के अन्तर्गत सत्र 2022–23 से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0ए0/एम0एस–सी0/एम0काम0) में लागू ग्रेडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में विचारार्थ आज दिनांकः 09 मई, 2023 को अपराह्न 02:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभागार कक्ष में तत्सम्बन्धी बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नलिखित की उपस्थिति रहीः–

1. प्रो0 अंजनी कुमार सिंह, प्राचार्य, कुँवर सिंह पी0जी0 कालेज, बलिया। – सदस्य
2. प्रो0 बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय, प्राचार्य, सतीश चन्द्र कालेज, बलिया। – सदस्य
3. प्रो0 अशोक कुमार सिंह, आचार्य, रा0वि0, कुँवर सिंह पी0जी0 कालेज, बलिया। – सदस्य
4. प्रो0 अरविन्द नेत्र पाण्डेय, आचार्य, सैन्य विज्ञान, सतीश चन्द्र कालेज, बलिया। – सदस्य
5. श्री एस0एल0पाल, कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया। –सदस्य सचिव

बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति(N.E.P.)–2020 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्याः 401/सत्तर–3– 2022, दिनांकः 09 फरवरी, 2022 में वर्णित दिशा–निर्देशों के आलोक में विश्वविद्यालय में सत्र 2022–23 से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0ए0/एम0एस–सी0/एम0काम0) हेतु अधोलिखित निर्देश सर्वसम्मति से पारित किये गयेः–

## 01.ग्रेड प्रणाली

नवीन व्यवस्था के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0ए0/ एम0एस–सी0/ एम0काम0) में ग्रेड प्रणाली लागू होगी। ग्रेड की व्यवस्था निम्न तालिका के अनुसार होगीः–

| ग्रेड अक्षर | विवरण | अंकों की सीमा | ग्रेड प्वाइन्ट |
|---|---|---|---|
| O | Outstanding | 91–100 | 10 |
| $A^+$ | Excellent | 81–90 | 9 |
| A | Very Good | 71–80 | 8 |
| $B^+$ | Good | 61–70 | 7 |
| B | Above Average | 51–60 | 6 |
| C | Average | 41–50 | 5 |
| P | Pass | 36–40 | 4 |
| F | Fail | 0–35 | 0 |
| AB | Absent | Absent | 0 |
| Q | Qualified | | |
| NQ | Not Qualified | | |

## 02. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 सभी मुख्य एवं माइनर कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) का न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 36 प्रतिशत ही रहेगा।

2.2 सभी मुख्य तथा माइनर कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) की मुख्य परीक्षा 100 पूर्णांक के लिये होगी। अंकों की गणना 25 अंकों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय(वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर की जायेगी। शोध परियोजनाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

2.3 मुख्य एवं माइनर कोर्स/पेपर(थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु :–

(अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 27 अंक (75 का 36 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे।

तथा

(ब) आन्तरिक एवं विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में कुल मिलाकर 100 में से न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

2.4 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत निर्धारित नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य/विश्वविद्यालयी परीक्षा में न्यूनतम 36 अंक (मुख्य एवं माइनर विषयों में) मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

2.5 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

## 03. कक्षोन्नति(प्रमोशन)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर से अगले सम सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

3.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी:–

(क) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनो सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक **(Required)** क्रेडिट के न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिये हों। परन्तु, द्वितीय सेमेस्टर के कुल क्रेडिट का भी न्यूनतम 25 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे, जैसे कि– 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जायेगा।

## 04.बैक पेपर अथवा अंक सुधार परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) परीक्षा नहीं होगी। केवल सम्पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालयी परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है, किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर की सम्पूर्ण परीक्षाएँ एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा अंक सुधार की सुविधा सम सेमेस्टर की सम सेमेस्टर में तथा विषम सेमेस्टर की विषम सेमेस्टर के साथ ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा अंक सुधार हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम वही होगा, जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा अंक सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय(बाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक, चाहे कितनी ही बार दे सकता है।

## 05.समयावधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी।

व्याख्या– यदि कोई विद्यार्थी सततता में दोनों वर्षों की पढाई करता है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष मिलेंगे। किन्तु, यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष पूर्ण कर स्नातक (शोध) की उपाधि लेकर चला जाता है, तो वह द्वितीय वर्ष की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे द्वितीय वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने के लिये 3 वर्ष मिलेंगे।

प्रो0(अंजनी कुमार सिंह)
सदस्य

प्रो0(बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय)
सदस्य

प्रो0(अशोक कुमार सिंह)
सदस्य

प्रो0(अरविन्द नेत्र पाण्डेय)
सदस्य

(एस0एल0पाल)
सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–401 /सत्तर–3–2022
लखनऊ : दिनॉक: 09 फरवरी, 2022

1– **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने विषयक शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें उल्लेख किया गया था कि सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर शैक्षिक सत्र 2021–22 तथा उच्चतर स्तरों पर शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू होगा। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम 2021–22 में लागू कर दिए गए हैं।

2– पाठ्यकम पुनर्संरचना की राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव दिये गये हैं, जिन्हे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा स्नातकोत्तर पाठ्यकमों की पुनर्संरचना करके एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,
( **मोनिका एस. गर्ग** )
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या–401(1)/सत्तर–3–2022–तद्दिनॉक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
3– प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र०।
4– डॉ0 दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु०मा० कन्या पी०जी० राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ०प्र०।

आज्ञा से,
( **शमीम अहमद खान** )
सचिव।

संलग्नक

## उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी0सी0, दिनांक 13 जुलाई 2021 जारी किया था जिसके बिन्दु संख्या–4 में कहा गया था कि स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव/योजना प्रस्तुत है :–

### क्षेत्र (Scope)-

- जिन संकायों के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में किसी नियामक संस्था के नियम लागू नहीं होते जैसे कि एम0ए0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 इत्यादि, उनमें यह व्यवस्था लागू होगी।
- चिकित्सा (Medicine and Dental etc.), तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.), विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड.) इत्यादि के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

### स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास–

- नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेगें। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।
- इस वर्ष मे प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा।
- प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।
- स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी। स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में न्यूनतम 52+48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

### स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संरचना–

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि पेपर्स का प्रकार, उनकी संख्या व क्रेडिट इत्यादि, उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के अंतिम पृष्ठ पर एक तालिका में दी हुई है। सुलभ संदर्भ के लिए यह तालिका इस पत्र के अंत में भी अंकित है।
- स्नातकोत्तर में एक ही मुख्य विषय (Major Subject) होगा।

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम सी0बी0सी0एस0 एवं सेमेस्टर प्रणाली में संचालित होगा।
- मुख्य विषय के चार थ्योरी के पेपर (पाँच क्रेडिट का एक) अथवा चार थ्योरी के व एक प्रयोगात्मक पेपर (सभी चार चार क्रेडिट) एक सेमेस्टर में होंगे। इस प्रकार एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे। एक वर्ष में 40 व दो वर्ष में 80 क्रेडिट होंगे।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि उसमें अधिकाधिक Optional पेपर्स हों।

  जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में चारों थ्योरी पेपर्स अनिवार्य हो सकते हैं। द्वितीय व तृतीय सेमेस्टरर्स में एक अथवा दो पेपर specialization पर आधारित optional पेपर्स में से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पेपर्स का चुनाव कर सकता है। चतुर्थ सेमेस्टर में अधिकाधिक अथवा सभी पेपर्स specialization पर आधारित optional पेपर्स होना समुचित रहेगा।
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र को केवल एक माइनर इलेक्टिव पेपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा। यह पेपर 4 या अधिक क्रेडिट का होगा।
- उपरोक्त सभी पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेगें।

<u>स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना</u> (Research Project)

- उच्च शिक्षा के चतुर्थ एवं पंचम वर्ष (स्नातकोत्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) में विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में उसके द्वारा चुने गये मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी।
- यह शोध परियोजना interdisciplinary/ multi-disciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट (चार घंटे प्रति सप्ताह) की शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Project Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। इस प्रकार इस परीक्षा के कुल 8 क्रेडिट होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC-CARE listed जर्नल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यॉकन (पूर्णांक 100 में से) में 25 अंक तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं । प्राप्तांक अधिकतम 100 ही होंगे ।
- शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

## क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण तथा उपस्थिति आदि के नियम उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के बिन्दु संख्या 9 व 10 में दिये गये हैं।

## पी0एच0डी0 कार्यक्रम

- पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम व अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये जाते हैं।
- इसमें शोध परियोजना से पहले प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य होता है।
- सभी विश्वविद्यालयों में प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में दो पेपर मुख्य विषय के 6–6 क्रेडिट के होंगे तथा एक पेपर 4 क्रेडिट का उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology (including research ethics, plagiarism and computer applications) का होगा।
- उपरोक्त 16 क्रेडिट के तीन पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेगें।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियनावली–2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum Passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड/ CGPA होंगें।
- उपरोक्त थ्योरी पेपर्स के अतिरिक्त, प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी होगी, जिसका स्वरूप विश्वविद्यालय की BOS व Academic Council निर्धारित करेगी।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या–69/सत्तर–1–2022 दिनांक 06–01–2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिये प्री.पी.एच.डी. कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ आनलाईन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों से कार्यवही करने को कहा है । इस सम्बंध में विश्वविद्यालय सेवारत शिक्षकों के लिये आनलाईन कोर्स वर्क का प्रारुप व नियम बना सकते हैं ।

## Table - Year-wise Structure of UG/PG Programs

**Blue Colour: No. of papers** **Red colour: Credits** **Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses**

| Year | Sem. | Subject I<br>Major<br>4/5/6 Credits<br>Own Faculty | Subject II<br>Major<br>4/5/6 Credits<br>Own Faculty | Subject III<br>Major<br>4/5/6 Credits<br>Own/ Other Faculty | Subject IV<br>Minor Elective<br>4/5/6 Credits<br>Other Faculty | Vocational<br>Minor<br>3 Credits<br>Vocational/ Skill Development Course | Co-Curricular<br>Minor<br>2 Credits<br>Co-Curricular Course (Qualifying) | Industrial Training/ Survey / **Research Project**<br>Major<br>4 Credits<br>Inter/Intra Faculty related to main Subject | {Minimum Credits} For the year | **{Cummulative Minimum Credits}** Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | 1 (4/5/6) | 1 | 1 | | 46 | {46}<br>Certificate in Faculty |
| | II | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | | 1 | 1 | | | |
| 2 | III | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)– Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | 1 (4/5/6) | 1 | 1 | | 46 | {92}<br>Diploma in Faculty |
| | IV | Th-1(6) or Th-1(4)+ – Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | | 1 | 1 | | | |
| 3 | V | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | | | | 1 | 1 (Qualifying) | 40 | {132}<br>Bachelor in Faculty |
| | VI | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | | | | 1 | 1 (Qualifying) | | |
| 4 | VII | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | 1 (4/5/6) | | | 1 (4) | 52 | {184}<br>Bachelor (Research) in Faculty |
| | VIII | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (4) | | |
| 5 | IX | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (4) | 48 | {232}<br>Master in Faculty |
| | X | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (4) | | |
| 6 | XI | Th-2 (6) | Th-1(4) Research Methodology | | | | | 1 (Qualifying) | 16 | {248}<br>PGDR in Subject |
| 6,7,8 | XII-XVI | | | | | | | Ph. D. Thesis | | Ph.D. in Subject |